(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम पुष्कर

श्री गैनी व अन्य बनाम श्री गुलाब सिंह व अन्य

212 नं 50 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 2021	प्रार्थीगण मय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थीगण अभिभाषक को प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.01.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)	
28/1/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 9 के अभिभाषक उपस्थित। आज बहस प्रारम्भ। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा मूल वाद पत्र के बिन्दु। नोट प्रेक्ष किया जा चुका है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। खारीज किया जाता है। पत्रावली पैरोकार कुमार चेजर नम्बर [illegible] उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested